न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 43 / 2019 GCMS NO 2019 / 00336

दायरा तिथि : 13.12.2019

आदेश तिथि : 5-8-2021

प्रार्थी :–

हंसाराम पुत्र भगाराम जाति मीणा
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. दीपा पुत्र धना
2. आशा पुत्री खेमाजी
3. चेतनदास पुत्र खेमाजी
4. पौनीदेवी पत्नि खेमाजी
5. भोमाराम पुत्र भेरदास
6. ममता पुत्री खेमाजी
7. रमेशकुमार पुत्र खेमाजी
8. शंकरलाल पुत्र खेमाजी
9. भंवरलाल पुत्र राजा शांति
10. मोहनलाल पुत्र राजा शांति
11. हंजादेवी पत्नि राजा शांति
12. हरिलाल पुत्र राजा शांति

क्र.सं. 01 से 08 जाति से मीणा तथा 09 लगाय 12 जाति से गुरू
निवासीगण सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 5-8-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3076, 3092 रकबा 2.78 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण दीपा पुत्र धना वगैरा की खातेदारी भूमि मौजा सेवाडी के खसरा नंबर 3069, 3070, 3071, 3077 किस्म नहरी सोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 2020 / 594 दिनांक 17.03.2020 प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में निरीक्षक भू.अ. सेवाडी व उसके आधार पर तैयार तहसील रिपोर्ट में **वैकल्पिक रास्ता** बाबत् विरोधाभाषी टिप्पणी होने से दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस के पश्चात् तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक / राजस्व / 2021 / 847 दिनांक 0706.2021 से पुनः रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3076 रकबा 0.59 हैक्टर व खसरा नंबर 3092 रकबा 0.47 हैक्टर कुल रकबा 1.06 हैक्टर प्रार्थी हंसाराम पुत्र भगाराम जाति मीणा निवासी सेवाडी तहसील बाली के नाम से खातेदारी में दर्ज हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	3069 3070	0.18 0.35	नहरी सोयम नहरी सोयम	84 X 4 = 336 वर्गमीटर 48 X 4 = 192 वर्गमीटर	दीपा पुत्र धना जाति मीणा निवासी सेवाडी

पेज ...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 43/2019 GCMS NO 2019/00336

अनवान हंसाराम बनाम दीपाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
2	3071	0.78	नहरी सोयम	45 X 4 = 180 वर्गमीटर	आशा, ममता पुत्रिया खेमाराम, चेतनदास, रमेशकुमार, शंकरलाल पि.खेमाराम, पोनीदेवी पत्नि खेमाराम, भोमाराम पुत्र भेरदास जाति मेणा निवासी सेवाडी
3	3077	0.96	नहरी सोयम	110 X 4 = 440 वर्गमीटर	भवरलाल, मोहनलाल, हरीलाल पिसरान् राजाशाति, हंजादेवी पत्नि राजाशाति गुरू नि. सेवाडी

अन्य विकल्प के तौर पर रास्ता जिस रास्ते का खसरा वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	3081	0.80	नहरी दोयम	168X 4 = 672 वर्गमीटर यानि 0.0366 हैक्टर	दिनेश, प्रवीण, रवीन्द्र पिसरान् हिम्मताराम, भवना,विमला पुत्रिया हिम्मताराम, चुनी पत्नि हिम्मताराम ममता पुत्री गणेशराम, श्रवणकुमार पुत्र गणेशराम, अमृताकुमारी पत्नि गणेशराम, अतिया, लहरी, लीला पुत्री दुजा, मानाराम पुत्र दुजा जाति मेणा निवासी सेवाडी
2	3085	1.87	नहरी सोयम	110X 4 =440 वर्गमीटर	केलीदेवी पत्नि हन्साराम, छोगीबाई पत्नि जेठाराम, तीजोदेवी पत्नि पकाराम रमेशकुमार, शंकरलाल पुत्र पकाराम जाति मीणा नि. सेवाडी

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम सेवाडी की डी.एल.सी.दर 432720/- रूपये प्रति हैक्टर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मेंसे अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं हैं। न ही विकल्प के तौर पर प्रस्तावित रास्ते में भी कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार अथवा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत पत्रादि प्रेषित किये गये। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दुदाराम चौधरी द्वारा प्रकरण को कन्टेस्ट करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3076, 3092 की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा है, परन्तु प्रार्थी की पत्नि केलीदेवी के साथ अन्य संयुक्त खातेदारो के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 3085 रकबा 1.87 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के अडो अड उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, प्रार्थी की पत्नि की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा हैं। इस प्रकार प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 3076, 3092 और 3085 की एक ही धोरा माठ है, जिन चारो खसरा नंबर में आने जाने हेतु वर्तमान में प्रार्थी खसरा नंबर 3088 मेंसे होकर आगे पूर्व दिशा की ओर नहर के पास स्थित चलने वाले करीब 10-12 फीट चौडे रास्ते का उपयोग लेते हुये अपनी खातेदारी भूमि में आना जाना कर रहा हैं। इसी प्रकार खसरा नंबर 3024 रकबा 1.06 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता से सीधा रास्ता खसरा नंबर 3085 में खसरा नंबर 3081, 3081/1 से आना जाना हो सकता है, उक्त दोनो रास्ते यानि खसरा नंबर 3081, 3081/1 मेंसे एवं खसरा नंबर 3088 मेंसे नजदीक रास्ते प्रार्थी की पत्नि की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपलब्ध है लेकिन प्रार्थी ने अपनी पत्नि केलीदेवी के खातेदारी का कोई विवरण उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं दिया हैं। खसरा नंबर 3085 सयुक्त सह खातेदारी की भूमि में प्रार्थी की पत्नि भी सह खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन के लिये उसकी पत्नि की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3085 से कम दुरी **(Short)** का मार्ग उपलब्ध होने तथा उपलब्ध रास्ते का उपयोग वर्तमान में किया जाने से उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है, जो सरासर गलत होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार...03

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 43/2019 GCMS NO 2019/00336

अनवान हंसाराम बनाम दीपाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील अप्रार्थी की आपत्ति का जबाव प्रार्थी पक्ष की ओर से पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 3077 के सह खातेदार हंजादेवी पत्नि राजाशांति जाति गुरू की मृत्यु होने की जानकारी प्रार्थी पक्ष को नहीं होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया था, अब चूंकि उनके वारिश रेकर्ड पर उपलब्ध होने से आपत्ति को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नंबर 3071 व 3077 से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के सबंध में अप्रार्थी द्वारा आपत्ति करते हुये खसरा नंबर 3085 की भूमि मेंसे होकर रास्ता दिलाने का कथन किया गया। परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में विकल्प का रास्ता खसरा नंबर 3081 एवं 3085 से बताया है, जिसमें प्रभावित खातेदार प्रार्थी की पत्नि के अलावा अन्य व्यक्ति भी है। इसके अतिरिक्त हस्तगत् प्रकरण में यह भी जाहिर हैं कि प्रार्थी द्वारा पुर्व में खसरा नंबर 3063, 3068, से भी रास्ते का आवेदन किया था, जो प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी का खारिज किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार आवागमन के लिये कोई विकल्प न होने की दशा में निकटतम मार्ग से नया रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ही आवेदन किया गया है, जिस पर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे अप्रार्थी पक्ष द्वारा की गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है, एवं तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांकः राजस्व/2021/847 दिनांक 0706.2021 से पुनः प्रेषित रिपोर्ट में **उल्लेखित खसरा नंबर 3069, 3070, 3071, 3077 मेंसे** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3076 व 3092 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर **3069, 3070, 3071, 3077 मेंसे कुल** 1148 **वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर ४३२७२०/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
3069 3070	0.18 0.35	84 X 4 = 336 वर्गमीटर 48 X 4 = 192 वर्गमीटर	43.27 43.27	14539 X2=29078 8308 X2= **16616**	दीपा पुत्र धना जाति मेणा निवासी सेवाडी
3071	0.78	45 X 4 = 180 वर्गमीटर	43.27	7789X2=15578	आशा, ममता पुत्रिया खेमाराम, चेतनदास, रमेशकुमार, शंकरलाल पि.खेमाराम, पोनीदेवी पत्नि खेमाराम, भोमाराम पुत्र भेरदास जाति मेणा निवासी सेवाडी
3077	0.96	110X 4 = 440 वर्गमीटर	43.27	19039x2=38078	भंवरलाल, मोहनलाल, हरीलाल पिसरान् राजाशांति, हंजादेवी पत्नि राजाशांति गुरू नि. सेवाडी

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **99350/– (अक्षरे निन्यानवे हजार तीन सौ पचास)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अनिल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (बाली)

Scanned with CamScanner